

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 220]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 अप्रैल 2015— चैत्र 18, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2015

क्रमांक 3191/डी. 121/21-अ/प्रारू./छ.ग./15.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 06-04-2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 10 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्र. 29 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.
(2) यह 1 दिसम्बर 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.
- छत्तीसगढ़ अधिनियम क्र. 29 सन् 1967 की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूलभूत नियम 56 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्र. 29 सन् 1967) की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूलभूत नियम 56 में, निम्नलिखित संशोधन निगमित किया जाये, अर्थात् :-
- (एक) उप-नियम (1) में, शब्द "एवं" के स्थान पर, अल्पविराम चिन्ह " ," प्रतिस्थापित किया जाये.
- (दो) उप-नियम (1) में, कोष्टक, अंक, हायफन तथा शब्द "(1-च)" के पश्चात्, कोष्टक, अंक, हायफन तथा शब्द "एवं (1-छ)" अंतःस्थापित किया जाये.
- (तीन) उप-नियम (1-च) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
- "(1-छ) (क) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य, जो छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित)भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची-एक में यथा उल्लिखित किसी 'पशु चिकित्सा' के पद पर नियुक्त हुआ हो, उस मास के, जिसमें वह पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें, अंतिम दिन के अपराह्न में, सेवानिवृत्त हो जायेगा:
- परंतु उपरोक्त वर्णित सेवा के उपरोक्त वर्णित पदों के सदस्य, जिसकी जन्मतिथि, किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में, पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, सेवानिवृत्त हो जायेगा.
- स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए "छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसे पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में, ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया हो और इसमें ऐसा पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जिसने कम से कम बीस वर्षों तक पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया हो, बशर्ते कि वह संबंधित छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.
- (ख) खण्ड (क) में अधिवार्षिकी आयु में बासठ वर्ष से पैसठ वर्ष की, की गई वृद्धि, दिनांक 1 दिसम्बर, 2014 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी."

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2015

क्रमांक 3191/डी. 121/21-अ/प्रारू./छ.ग./15. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-04-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 10 of 2015)

THE CHHATTISGARH SHASKIYA SEVAK (ADHIVARSHIKI-AYU)
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2015

An Act further to amend the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967 (No. 29 of 1967).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) (Sansodhan) Adhiniyam, 2015. Short title and commencement.
- (2) It shall be deemed to have come into force from the 1st day of December, 2014.
2. In Rule 56 of the Fundamental Rules as substituted by Section 2 of the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967 (No. 29 of 1967), the following amendment shall be incorporated, namely :- Amendment of Rule 56 of the Fundamental Rules as substituted by Section 2 of the Chhattisgarh Act No. 29 of 1967.
 - (i) In sub-rule (1), for the word "and", the punctuation comma ",", shall be substituted.
 - (ii) In sub-rule (1), after the parenthesis, figure, hyphen and word "(1-f)", the parenthesis, figure, hyphen and word "and (1-g)" shall be inserted.
 - (iii) After sub-rule (1-f), the following shall be added, namely :-
 - "(1-g) (a) Subject to the provision of sub-rule (2), every member of the Chhattisgarh Veterinary (Gazetted) Service appointed to the post of 'Veterinary Medical' as mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Veterinary Service (Gazetted) Recruitment Rules, 1966, shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty five years :

Provided that on attaining the age of sixty five years, a member of the abovementioned service on the abovementioned post, whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month.

Explanation - For the purpose of this sub-rule "a member of the Chhattisgarh Veterinary (Gazetted) Services" means a Government Servant, by whatever designation called, appointed as a Veterinary Medical Officer or Specialist in accordance with the recruitment rules as applicable to such appointment and shall also include such Veterinary Medical Officer or Specialist, who is appointed to an administrative post by promotion or otherwise and who has served as Veterinary Medical Officer or Specialist for not less than twenty years provided that he holds a lien on a post in the concerned Chhattisgarh Veterinary (Gazetted) Services.

(b) The increase of age of superannuation from sixty two years to sixty five years in clause (a) shall be deemed to have come into force from 1st December, 2014."